मध्यप्रदेश शासन
धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

// आदेश //

क्रं.-837/1128/2022/68 भोपाल, दिनांक 12/04/2023

प्रति,

कलेक्टर,

भोपाल, इंदौर, अलीराजपुर, धार, राजगढ़, रायसेन, सीहोर, झाबुआ, विदिशा, आगर-मालवा, बैतूल, देवास, हरदा, मंदसौर, नर्मदापुरम, नीमच, दमोह, रतलाम, शाजापुर, सागर, उज्जैन, खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर, खरगौन मध्यप्रदेश।

विषयः-मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अंतर्गत नियमित विमान सेवा के वायुयान से तीर्थ यात्रा दिनांक 21.05.2023 से 19.07.2023 तक।

—00—

विषयांतर्गत कृपया धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना नियम-2012 एवं इस नियम में समय-समय पर जारी संशोधनों (विभागीय वेबसाईट www.dharmasva.mp.gov.in पर उपलब्ध) का अवलोकन करने का कष्ट करें। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अंतर्गत नियमित विमान सेवा के वायुयान से मध्यप्रदेश के 65 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों (जो आयकरदाता नहीं है) को प्रदेश के बाहर स्थित विभिन्न नाम निर्दिष्ट तीर्थ स्थानों में से एक या युग्म तीर्थों की यात्रा कराए जाने का निर्णय लिया गया है।

1. योजना का क्रियान्वयन IRCTC (Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited), (भारत सरकार का उपक्रम) के द्वारा किया जा रहा है। वायुयान से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की कार्यवाही IRCTC के साथ किये गये अनुबंध तथा IRCTC द्वारा उक्त तीर्थ यात्राओं के लिये प्रस्तुत पैकेज अनुसार की जावेगी। जिस एयरपोर्ट से यात्रा आरंभ होगी उसी एयरपोर्ट पर तीर्थ यात्री वापस लौटेगें। यात्रियों का चयन संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा किया जायेगा। चयन के पश्चात् कलेक्टर यात्रियों की एक-एक सूची संचालक, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, अपर वेसमेंट, बी विंग, सतपुड़ा भवन, भोपाल तथा IRCTC के पर्यावास भवन, भोपाल स्थित कार्यालय को उपलब्ध करायेगें। उक्त सूची एवं आनुषंगिक कागजातों को स्थायी अभिलेख के रूप में कलेक्टर द्वारा संधारित किया जावेगा।
2. तीर्थ यात्रियों को वायुयान द्वारा प्रस्थान एयरपोर्ट से लेकर यात्रियों को वापस उसी एयरपोर्ट पर पहुचाने की जिम्मेदारी IRCTC की रहेगी। तीर्थ स्थान पर यात्रियों को भोजन, नाश्ता एवं चाय आदि IRCTC उपलब्ध करायेगा। यात्रियों के रूकने की व्यवस्था, उन्हें तीर्थ स्थल तक बसों द्वारा ले जाने, वापस एयरपोर्ट में लाने एवं टूर मैनेजर की व्यवस्था भी IRCTC करेगा।
3. वायुयान जिन एयरपोर्ट से उड़ान भरेगा एवं वापस आवेगा उस एयरपोर्ट तक चयनित तीर्थ यात्रियों को लाने एवं ले जाने की व्यवस्था संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा की जावेगी।

नाश्ता/(ड्राई) लंच पेकेट एवं मिनरल वाटर की बॉटल (500 ml) की व्यवस्था भी जिला कलेक्टर द्वारा यात्रा में रवाना होने के साथ ही की जावेगी साथ ही तीर्थ यात्रा से वापसी में एयरपोर्ट से बाहर आने पर वापस जिले की यात्रा में भोजन/नाश्ते, मिनरल वाटर इत्यादि की व्यवस्था भी आवश्यकतानुसार संबंधित जिले द्वारा की जावेगी। एयरपोर्ट एवं वायुयान में भोजन/नाश्ता इत्यादि की पृथक से कोई व्यवस्था IRCTC द्वारा नहीं की जावेगी। यात्रियों से अपेक्षा है कि वे मौसम के अनुरूप वस्त्र, व्यक्तिगत उपयोग की सामग्री यथा तौलिया, साबुन, कंघा, आवश्यक दवाईयां, दाढ़ी बनाने का सामान आदि चेक इन बैग में रखें। तीर्थ यात्री अपने साथ ओरीजनल आधार कार्ड रखें।

4. यात्री अधिकतम 15 किलोग्राम वजन के चेक-इन बैग (1 नग) और 7 किलोग्राम वजन वाले हैंड बैग, (115 cm आकार के, लम्बाई + चौड़ाई + ऊचाई) ही ले जा सकते है। इस पात्रता से अधिक ले जाने वाले किसी भी सामान पर एयरलाइन द्वारा अतिरिक्त सामान शुल्क लगाया जाएगा, जिसका भुगतान तीर्थ यात्री को एयरपोर्ट पर करना होगा। उड़ान के दौरान यात्रा करने के संबंध में एयरलाइन के नियम और शर्तें लागू होंगी।
5. प्रत्येक वायुयान में कुल 33 सीटे उपलब्ध रहेगी। इन सीटो के विरूद्ध प्रत्येक जिले से 32 तीर्थ यात्रियों एवं 01 अनुरक्षक (एस्कार्ट) के रूप में शासकीय अधिकारी को भेजा जाना है। आईआरसीटीसी द्वारा नियत एक टूर मैनेजर भी तीर्थयात्रियों के साथ यात्रा करेगा।
6. यात्रियों का चयन एवं पात्रता संबंधी शर्ते मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना नियम 2012 एवं उसमें समय समय पर जारी संशोधनो के अनुसार ही रहेगी, लेकिन वायुयान द्वारा तीर्थ यात्रा के लिये प्रथम चरण में केवल 65 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक आवेदन कर सकेंगे, परंतु यात्रा में उन्हें सहायक की पात्रता नहीं रहेगी।
7. अधिकतम परिवारो तक वायुयान द्वारा तीर्थ यात्रा का लाभ पहुंचाए जाने की दृष्टि से प्रथमतः एक परिवार से एक ही आवेदन स्वीकार्य होगा। पति-पत्नी दोनो या समूह में आवेदन की पात्रता नहीं रहेगी।
8. जिला कलेक्टर योजना का प्रचार-प्रसार स्थानीय अखबारों/समाचार माध्यमों में विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित करेंगे। उक्त आवेदन निकटतम तहसील, स्थानीय निकाय, जनपद कार्यालय अथवा कलेक्टर द्वारा निर्धारित अन्य विज्ञप्ति स्थानों पर जमा किये जा सकेंगें।
9. यदि जिले को आवंटित निर्धारित कोटा (32 यात्रियों) से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, तो ऐसी स्थिति में यात्रियों का चयन कम्प्युटराईज्ड लॉटरी से किया जाये।
10. आईआरसीटीसी द्वारा यात्रा दिनांक से 15 दिवस पूर्व एयर टिकिट जारी किये जावेगें, तथा जिला कलेक्टर द्वारा कंडिका-11 (i) अनुसार प्रेषित नामों में परिवर्तन नहीं हो सकेगा।
11. कलेक्टर्स एवं प्रबंधक, IRCTC को निम्नलिखित निर्देश जारी किये जा रहे हैं इनका पालन करना सुनिश्चित करें:-
    (i) समस्त कलेक्टर्स मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना यात्रा का पर्याप्त प्रचार-प्रसार करें किसी भी स्थिति में निर्धारित कोटे से कम अथवा ज्यादा तीर्थ यात्रियों का अंतिम चयन नहीं होना चाहिए। जिले द्वारा सुविधानुसार संलग्न आवेदन पत्र निर्धारित यात्रा से पर्याप्त

समय पूर्व प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाये। तीर्थ यात्रियों की निर्धारित पात्रता का परीक्षण किया जावे तथा यात्रा से 25 दिवस पूर्व चयनित यात्रियों की आधार कार्ड की प्रति संलग्न करते हुए आधार कार्ड के नाम आधारित सूची संचालक, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना एवं प्रबंधक, IRCTC को उपलब्ध कराई जावे ताकि तीर्थ यात्रियों के टिकिट बनवाने में असुविधा न हो।

(ii) जिला कलेक्टर एवं प्रबंधक IRCTC यह सुनिश्चित करें कि यात्रा की तिथि व समय पर संबंधित जिले के तीर्थ यात्री संबंधित एयरपोर्ट पर वायुयान के Departure Time से 03 घंटे पूर्व में पहुँच जावे, ताकि तीर्थ यात्रियों को परेशानी न हो तथा उनकी समय पर बोर्डिंग सुनिश्चित हो सके।

(iii) IRCTC द्वारा तीर्थ यात्रियों को गंतव्य स्थान पर उत्तम गुणवत्ता का भोजन, नाश्ता एवं शुद्ध पेयजल (कम से कम 2 मिनरल वाटर की बोतलें प्रतिदिन) उपलब्ध कराया जावे एवं अन्य व्यवस्थाएं IRCTC द्वारा दी गई Itinerary के अनुरूप हो।

(iv) मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत जाने वाले अनुरक्षक वायुयान के प्रस्थान होने के उपरांत प्रति चार घंटे बाद तीर्थ यात्रियों की कुशलता के संबंध में संबंधित जिले के कलेक्टर एवं जिले के नोडल अधिकारी, कार्यालय संचालक, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को अवगत कराएंगे।

12. संबंधित कलेक्टर तीर्थ यात्रियों की आधार कार्ड की प्रति संलग्न करते हुए आधार कार्ड के नाम आधारित सूची एवं अनुरक्षक की जानकारी (नाम, पदनाम, आधार कार्ड की प्रति एवं वॉट्सऐप मोबाईल नंबर) **(Hardcopy एवं Softcopy in MS-Excel format)** संचालक, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना ई-मेल **dndvmp@gmail.com** अपर बेसमेंट सतपुड़ा भवन पर एवं अपर महाप्रबंधक (पर्यटन) IRCTC क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल ई-मेल **irctc.bpl@gmail.com** पर भी उपलब्ध कराऐगें। तीर्थ यात्रियों की एक सूची संबंधित संभागायुक्त को उपलब्ध करायेंगे। कलेक्टर चयनित तीर्थ यात्रियों को वायुयान प्रस्थान की तिथि, समय एवं स्थान से अवगत करायेंगे एवं एयरपोर्ट तक लाने/वापस ले जाने की व्यवस्था भी करेगें। IRCTC तीर्थ यात्रियों की यात्रावार अभिप्रमाणित सूची विभाग को उपलब्ध कराई जावेगी।

अधिक जानकारी के लिये संचालनालय धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व कार्यालय के दूरभाष नं. 0755-2767116 तथा ई-मेल **dndvmp@gmail.com, dharmasva.mantralaya@gmail.com** पर संपर्क कर सकते है, साथ ही धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग की वेबसाईट **www.dharmasva.mp.gov.in** से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना से संबंधित आदेश, नियम, परिपत्र तथा आवेदन पत्र डाउनलोड किये जा सकते है। IRCTC के महत्वपूर्ण दूरभाष नम्बर 0755-4057982, श्री पंकज तिवारी, मुख्य पर्यवेक्षक, मो.नं. 8287931726 एवं श्री कृष्ण कुमार सिंह, अपर महाप्रबंधक का मो.नं. 8287931607.

13. यात्रियों को यात्रा के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन आवश्यक है।

14. यात्रा कार्यक्रम:-

क्र.	यात्रा दिनांक	दिन	जिले	तीर्थ स्थान	यात्रा अवधि	प्रारंभिक एयरपोर्ट	गंतव्य एयरपोर्ट	वायु मार्ग
1	21.05.23	रविवार	भोपाल	प्रयागराज	1 रात 2 दिन	भोपाल	प्रयागराज	प्रयागराज (Direct)
2	23.05.23	मंगलवार	आगर मालवा	शिर्डी	1 रात 2 दिन	इंदौर	शिर्डी	शिर्डी (Direct)
3	25.05.23	गुरूवार	बैतूल	मथुरा-वृन्दावन	2 रात 3 दिन	भोपाल	आगरा	मथुरा-वृंदावन (Via-Agra Airport)
4	26.05.23	शुक्रवार	देवास	शिर्डी	1 रात 2 दिन	इंदौर	शिर्डी	शिर्डी (Direct)
5	03.06.23	शनिवार	खंडवा	गंगासागर	3 रात 4 दिन	इंदौर	कलकत्ता	गंगासागर (Via-Kolkata Airport)
6	04.06.23	रविवार	हरदा	प्रयागराज	1 रात 2 दिन	भोपाल	प्रयागराज	प्रयागराज (Direct)
7	06.06.23	मंगलवार	मंदसौर	शिर्डी	1 रात 2 दिन	इंदौर	शिर्डी	शिर्डी (Direct)
8	08.06.23	गुरूवार	नर्मदापुरम	मथुरा-वृन्दावन	2 रात 3 दिन	भोपाल	आगरा	मथुरा-वृंदावन (Via-Agra Airport)
9	09.06.23	शुक्रवार	नीमच	शिर्डी	1 रात 2 दिन	इंदौर	शिर्डी	शिर्डी (Direct)
10	15.06.23	गुरूवार	बड़वानी	गंगासागर	3 रात 4 दिन	इंदौर	कलकत्ता	गंगासागर (Via-Kolkata Airport)
11	16.06.23	शुक्रवार	इंदौर	गंगासागर	3 रात 4 दिन	इंदौर	कलकत्ता	गंगासागर (Via-Kolkata Airport)
12	18.06.23	रविवार	दमोह	प्रयागराज	1 रात 2 दिन	भोपाल	प्रयागराज	प्रयागराज (Direct)
13	19.06.23	सोमवार	बुरहानपुर	गंगासागर	3 रात 4 दिन	इंदौर	कलकत्ता	गंगासागर (Via-Kolkata Airport)
14	19.06.23	सोमवार	रतलाम	शिर्डी	1 रात 2 दिन	इंदौर	शिर्डी	शिर्डी (Direct)
15	20.06.23	मंगलवार	शाजापुर	शिर्डी	1 रात 2 दिन	इंदौर	शिर्डी	शिर्डी (Direct)
16	22.06.23	गुरूवार	सागर	मथुरा-वृन्दावन	2 रात 3 दिन	भोपाल	आगरा	मथुरा-वृंदावन (Via-Agra Airport)

17	23.06.23	शुक्रवार	खरगौन	गंगासागर	3 रात 4 दिन	इंदौर	कलकत्ता	गंगासागर (Via-Kolkata Airport)
18	23.06.23	शुक्रवार	उज्जैन	शिर्डी	1 रात 2 दिन	इंदौर	शिर्डी	शिर्डी (Direct)
19	02.07.23	रविवार	विदिशा	प्रयागराज	1 रात 2 दिन	भोपाल	प्रयागराज	प्रयागराज (Direct)
20	03.07.23	सोमवार	अलीराजपुर	शिर्डी	1 रात 2 दिन	इंदौर	शिर्डी	शिर्डी (Direct)
21	04.07.23	मंगलवार	राजगढ़	मथुरा- वृन्दावन	2 रात 3 दिन	भोपाल	आगरा	मथुरा-वृदावन (Via-Agra Airport)
22	06.07.23	गुरूवार	सीहोर	मथुरा -वृन्दावन	2 रात 3 दिन	भोपाल	आगरा	मथुरा-वृदावन (Via-Agra Airport)
23	07.07.23	शुक्रवार	धार	शिर्डी	1 रात 2 दिन	इंदौर	शिर्डी	शिर्डी (Direct)
24	16.07.23	रविवार	रायसेन	प्रयागराज	1 रात 2 दिन	भोपाल	प्रयागराज	प्रयागराज (Direct)
25	19.07.23	बुधवार	झाबुआ	शिर्डी	1 रात 2 दिन	इंदौर	शिर्डी	शिर्डी (Direct)

(तीर्थ यात्रा हेतु फ्लाइट शेडयूल संबंधित जिलो को आईआरसीटीसी द्वारा एयर टिकिट के साथ उपलब्ध कराया जावेगा।)

15- कृपया उपरोक्तानुसार आवेदन आमंत्रित कर हवाई यात्रा के जारी दिशा निर्देश के तहत समय सीमा को दृष्टिगत रखते हुए त्वरित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नः- आवेदन पत्र का प्रारूप

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(पुष्पा कुलेश)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग

क्रं.-838/1128/2022/68 भोपाल, दिनांक 12/04/2023

प्रतिलिपि :-

01. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर सूचनार्थ।
02. निज सचिव, माननीय मंत्री, धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग की ओर सूचनार्थ।
03. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
04. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
05. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
06. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
07. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
08. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ।
09. आयुक्त जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर प्रकाशनार्थ प्रेषित।
10. संचालक, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, सतपुडा भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
11. आयुक्त इंदौर, सागर, उज्जैन, नर्मदापुरम एवं भोपाल संभाग मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
12. जोनल पुलिस महानिरीक्षक, इंदौर, सागर, उज्जैन, नर्मदापुरम एवं भोपाल जोन की ओर सूचनार्थ।
13. पुलिस आयुक्त, भोपाल एवं इंदौर की ओर सूचनार्थ।
14. पुलिस अधीक्षक- अलीराजपुर, धार, राजगढ़, रायसेन, सीहोर, झाबुआ, विदिशा, आगर-मालवा, बैतूल, देवास, हरदा, मंदसौर, नर्मदापुरम, नीमच, दमोह, रतलाम, शाजापुर, सागर, उज्जैन, खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर, खरगौन जिले मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
15. अपर महाप्रबंधक(पर्यटन), IRCTC क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
16. गार्ड फाईल।

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग

आवेदक का फोटो
पासपोर्ट साईज

मध्यप्रदेश शासन
धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अंतर्गत आवेदन-पत्र
(नियमित विमान सेवा में वायुयान से तीर्थयात्रा)

(केवल कार्यालय उपयोग हेतु)

प्राप्ति का दिनांक....................	सरल क्रमांक :......................	पंजीयन नं. :........................

(केवल 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति ही आवेदन करें।)

1. आवेदक का पूरा नाम श्री/श्रीमती/सुश्री ....

2. लिंग : पुरूष/महिला ....

3. पिता/पति का पूरा नाम श्री ....

4. माता का पूरा नाम श्रीमती...

5. आवेदक का उपनाम (यदि कोई हो) ....

6. आवेदक की पत्नि/पति का नाम श्री/श्रीमती...

7. आवेदक का धर्म- हिन्दू/मुस्लिम/सिख/इसाई/बौद्ध/जैन/ अन्य

   (केवल एक स्थान पर ✓ का निशान लगावें)

8. आवेदक का पूर्ण पता ....

   ....

9. आवेदक का दूरभाष नं. ....

10. आवेदक का मोबाईल नं. ....

11. जन्मतिथि .... आयु....................... वर्ष...................
    (आयु के प्रमाण हेतु पैन/आधार/मार्कशीट/वोटर कार्ड/अन्य मान्य प्रमाण पत्र आदि में से एक का छायाप्रति संलग्न करें)

12. क्या मध्यप्रदेश का मूल निवासी है: ....(हां/नहीं) प्रमाण पत्र क्रमांक................
    (राशन कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/विद्युत देयक/वोटर कार्ड/अन्य मान्य प्रमाण पत्र आदि में से एक की छायाप्रति संलग्न करें)

13. पहचान पत्र (आधार कार्ड का नंबर) (छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है)

14. आपातकाल की स्थिति में सूचना हेतु नामित व्यक्ति का नाम... संबंध................
    पता...
    संपर्क मोबाईल नंबर..

आवेदक द्वारा घोषणा

मैं....................................पुत्र/पुत्री/पत्नि ....आयु............
निवासी...
घोषणा करता हूँ/करती हूं कि उपरोक्त विवरण मेरे ज्ञान के आधार पर सत्य है।

एवं

1. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि..
   - (अ) मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत नियमित विमान सेवा से वायुयान द्वारा तीर्थ यात्रा संबंधी नियम व निर्देश मैंने पूर्णतः पढ़े/सुन कर समझ लिये हैं और मैं उनका पालन करूंगा/करूंगी।
   - (ब) मध्यप्रदेश का मूल निवासी हूं।
   - (स) मेरी आयु 65 वर्ष से अधिक है।
   - (द) मैं आयकर दाता नहीं हूँ।
2. यात्रा के दौरान होने वाली किसी दुर्घटना अथवा कठिनाई के लिये राज्य शासन अथवा उसका कोई अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी नहीं होगा।
3. इस योजना के अंतर्गत मैंने पूर्व में यात्रा नहीं की हैं।
4. यात्रा हेतु चयन, किसी व्यक्ति को यात्रा पर ले जाने हेतु शासन पर वंधनकारी नहीं होगा।
5. वायुयान में अथवा हवाई अड्डे पर खान-पान की व्यवस्था के लिये शासन जिम्मेदार नहीं होगा।

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान

चिकित्सीय प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि श्री/श्रीमती/सुश्री...
पुत्र/पुत्री/पत्नि.................................निवासी...
.... आयु............... वर्ष हवाई यात्रा करने हेतु शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम हैं और किसी संक्रामक रोग से ग्रसित नहीं है।

शासकीय चिकित्सक के हस्ताक्षर
एवं पद मुद्रा

पावती

श्री/श्रीमती/सुश्री...
पुत्र/पुत्री/पत्नि..निवासी.. का
आवेदन पत्र क्रमांक .... दिनांक...................... को प्राप्त हुआ।

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता